

शैक्षणिक मामलों का कार्यालय
कार्यालय आदेश

क्रमांक 18-29/1/2026-AA
कंप्यूटर नंबर 4837

24 अगस्त 2026

विषय: अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से आईआईएसईआर बरहमपुर में नव नियुक्त संकाय सदस्यों के पीएचडी छात्रों के स्थानांतरण संबंधी नीति

अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से आईआईएसईआर बरहमपुर में (नए शामिल हुए फैकल्टी के) PhD छात्रों के ट्रांसफर के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इन्हें अनुबंध- I के रूप में संलग्न किया गया है।

यह सूचना और अनुपालन के लिए है।

पर हस्ताक्षर किए
(धर्मेन्द्र कुमार साह)
वरिष्ठ सहायक रजिस्ट्रार (शैक्षणिक मामले)

प्रतिलिपि:

1. सभी संकाय सदस्य
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. वैज्ञानिक कर्मचारी
4. सभी विभागीय कार्यालय
5. रजिस्ट्रार कार्यालय - जानकारी के लिए
6. निदेशक कार्यालय - जानकारी के लिए
7. शैक्षणिक मामले: ग्रेड और पंजीकरण - रिकॉर्ड के लिए

अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से आईआईएसईआर बरहामपुर में नवनियुक्त संकाय सदस्यों के पीएचडी छात्रों के स्थानांतरण संबंधी नीति

1. प्रस्तावना

यह नीति उन पीएचडी छात्रों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त अनुरोधों को संसाधित करने हेतु पात्रता मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करती है जो किसी संकाय सदस्य की नियुक्ति से पहले ही किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या अनुसंधान संगठन में पंजीकृत हैं।

इस नीति का उद्देश्य आईआईएसईआर बरहामपुर की सभी शैक्षणिक और नियामक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए ऐसे छात्रों के डॉक्टरेट अनुसंधान की निरंतरता को सुगम बनाना है।

2. परिभाषाएँ

इस नीति के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

2.1 संस्थानमतलब है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) बरहामपुर.

2.2 संकाय सदस्य इसका अर्थ है आईआईएसईआर बरहामपुर में नियुक्त एक नियमित संकाय सदस्य जो पहले किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान या अनुसंधान संगठन में कार्यरत था और जो आईआईएसईआर बरहामपुर में शामिल होने से पहले एक या अधिक पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा था।

2.3 स्थानांतरण छात्र इसका तात्पर्य है कि एक पीएचडी छात्र जो अपने शोध पर्यवेक्षक के आईआईएसईआर बरहामपुर में संकाय सदस्य के रूप में शामिल होने के परिणामस्वरूप किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान या अनुसंधान संगठन से आईआईएसईआर बरहामपुर में अपने डॉक्टरेट पंजीकरण के स्थानांतरण की मांग करता है।

2.4 पूर्व संस्थान इसका तात्पर्य उस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान या अनुसंधान संगठन से है जहां छात्र ने मूल रूप से पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था।

2.5 विभागीय स्नातकोत्तर समिति (डीपीजीसी) इसका तात्पर्य आईआईएसईआर बरहामपुर में संबंधित शैक्षणिक विभाग द्वारा गठित समिति से है, जो प्रवेश, पाठ्यक्रम और अनुसंधान प्रगति सहित स्नातकोत्तर शैक्षणिक मामलों की देखरेख करती है।

2.6 अनुसंधान प्रगति समिति (आरपीसी) इसका तात्पर्य आईआईएसईआर बरहामपुर के पीएचडी नियमों के अनुसार गठित समिति से है, जैसा कि पीएचडी मैनुअल में डॉक्टरेट छात्रों की शैक्षणिक और अनुसंधान प्रगति की निगरानी के लिए वर्णित है।

2.7 फेलोशिप इसका अर्थ है किसी पीएचडी छात्र द्वारा विश्वविद्यालय, संस्थान, सरकारी एजेंसियों, वित्तीय सहायता एजेंसियों, प्रायोजित परियोजनाओं या किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्रोत से प्राप्त की गई कोई भी वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सहायक पद या वजीफा।

3. पात्रता

3.1 आवेदक को संस्थान के पीएचडी नियमावली में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जो इसके पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित हैं।

3.2 किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान या अनुसंधान संगठन के पीएचडी कार्यक्रम के तहत पंजीकृत पीएचडी छात्र, जो उस संस्थान से हाल ही में आईआईएसईआर बरहमपुर में शामिल हुए संकाय सदस्य के अधीन काम कर रहा है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है।

3.3 जिन आवेदकों ने संकाय में पंजीकरण कराया है, वेतीनआईआईएसईआर बरहमपुर में संकाय में शामिल होने से कुछ महीने पहले शामिल हुए उम्मीदवार इस प्रावधान के तहत विचार के पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे नए उम्मीदवार के रूप में आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.4 जो आवेदक संकाय सदस्य के आईआईएसईआर बरहमपुर में शामिल होने से तीन महीने से अधिक समय पहले अपना पीएचडी कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, उन्हें आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी उपयुक्तता के आकलन और मूल्यांकन के अधीन स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है।

3.5 इस उद्देश्य के लिए, आवेदक को विभागीय स्नातकोत्तर समिति (डीपीजीसी) और संबंधित विभाग के प्रमुख की एक समिति के समक्ष अपने शोध की प्रगति प्रस्तुत करनी होगी। समिति आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और शोध प्रगति का मूल्यांकन करेगी, साथ ही आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश देने की उपयुक्तता और पिछले संस्थान में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम की आईआईएसईआर बरहमपुर के लागू पीएचडी विनियमों/नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के समकक्षता का भी आकलन करेगी। यदि समिति यह निर्धारित करती है कि पूर्ण किया गया पाठ्यक्रम समकक्ष नहीं है या किसी अन्य रूप से अपर्याप्त है, तो वह पंजीकरण से पहले आवेदक को आईआईएसईआर बरहमपुर में अतिरिक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने या निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को दोहराने की सिफारिश कर सकती है, बशर्ते कि आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी हों।

4. प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया और आवेदक की उम्मीदवारी के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:

4.1 आवेदन जमा करना

किसी अन्य संकाय में पंजीकृत छात्र, जिसने अब आईआईएसईआर बरहमपुर में दाखिला लिया है, को आईआईएसईआर बरहमपुर में अपने पीएचडी पंजीकरण के स्थानांतरण के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:

- (i) छात्र को संबंधित संकाय सदस्य के माध्यम से विभागाध्यक्ष को स्थानांतरण के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:

- (a) पूर्व संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी);
- (b) पूर्व संस्थान से सदस्यता शुल्क न होने का प्रमाण पत्र;
- (c) पूर्व संस्थान से प्राप्त पीएचडी पंजीकरण आदेश/अधिसूचना की प्रति;
- (d) छात्र के अकादमिक प्रमाण पत्र और प्रमाणपत्र, जिनमें सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र शामिल हों;
- (e) पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम का विवरण, जिसमें अब तक प्राप्त ग्रेड/ अर्जित क्रेडिट, ग्रेड कार्ड/ प्राप्त रिपोर्ट शामिल हैं;
- (f) शोध पर्यवेक्षक(कों) द्वारा विधिवत प्रमाणित शोध प्रगति पर एक व्यापक रिपोर्ट;
- (g) फेलोशिप के विवरण में अवधि और प्राप्त वित्तीय सहायता के स्रोत का उल्लेख किया गया है।

आवेदक से संस्थान द्वारा बाद में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया जा सकता है।

4.2 स्थानांतरण के अनुरोध का प्रसंस्करण

- (i) इस नीति के अनुसार मूल्यांकन के लिए आवेदन को डीपीजीसी के समक्ष रखा जाएगा।
- (ii) डीपीजीसी अपनी सिफारिश देने से पहले उम्मीदवार को प्रस्तुति देने और/या किसी संवाद में शामिल होने के लिए कह सकता है। DPGC पंजीकरण हस्तांतरण के आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें की जाएंगी:
 - (a) उम्मीदवार की पात्रता;
 - (b) पाठ्यक्रम की समतुल्यता;
 - (c) अनुसंधान प्रगति;
 - (d) यदि कोई अतिरिक्त शैक्षणिक आवश्यकताएं (जैसे पाठ्यक्रम) हों, तो वे भी।
 - (e) आईआईएसईआर बरहामपुर में स्थानांतरण के लिए उपयुक्तता।
- (iii) डीपीजीसी की सिफारिशें इसके माध्यम से अग्रेषित की जाएंगी। विभाग प्रमुख तक डीन, अकादमिक मामले संस्थान के शैक्षणिक नियमों के अनुसार विचार और अनुमोदन के लिए।
- (iv) पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए अंतिम स्वीकृति निम्न द्वारा प्रदान की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी आईआईएसईआर बरहामपुर के नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार निर्धारित।
- (v) इस नीति के अंतर्गत प्रवेश स्वतःस्फूर्त नहीं माना जाएगा और यह संस्थान की सभी वैधानिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन रहेगा।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर, छात्र को निर्धारित समय के भीतर आईआईएसईआर बरहामपुर द्वारा निर्धारित सभी प्रवेश और पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

5. सामान्य नियम एवं शर्तें

पीएचडी पंजीकरण के स्थानांतरण की मांग करने वाले सभी छात्रों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

5.1 फेलोशिप

सभी सरकारी वित्त पोषण स्रोतों से प्राप्त फेलोशिप/असिस्टेंटशिप की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। आईआईएसईआर बरहामपुर में वित्तीय

सहायता के लिए पात्रता और उसकी अवधि निर्धारित करते समय, पूर्व संस्थान में प्राप्त की गई फेलोशिप की अवधि को इस पांच साल की सीमा में गिना जाएगा।

5.2 फेलोशिप श्रेणी

यदि कोई छात्र पूर्व संस्थान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) की अवधि पूरी कर चुका है, तो डीपीजीसी की सिफारिश और आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी मैनुअल के अनुसार संस्थान के फेलोशिप मानदंडों सहित वित्त पोषण एजेंसी के लागू मानदंडों की पूर्ति के अधीन, छात्र को सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) श्रेणी के तहत प्लेसमेंट के लिए विचार किया जा सकता है।

5.3 फेलोशिप आवंटन

ऐसे छात्रों के लिए संस्थान द्वारा समर्थित फेलोशिप की स्वीकृति आईआईएसईआर बरहमपुर के संकाय सदस्यों पर लागू फेलोशिप आवंटन और पर्यवेक्षण मानदंडों के अधीन होगी। छात्रों के स्थानांतरण से संबंधित संकाय सदस्य को मिलने वाली संस्थान द्वारा समर्थित फेलोशिप की संख्या में स्वतः वृद्धि नहीं होगी।

6. अतिरिक्त शैक्षणिक और अन्य आवश्यकताएँ

छात्रों के इस प्रकार के स्थानांतरण के मामलों में निम्नलिखित शैक्षणिक प्रावधान भी लागू होंगे:

- (i) आईआईएसईआर बरहमपुर में पीएचडी कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम अवधि का निर्धारण करते समय छात्र द्वारा पिछले संस्थान में व्यतीत की गई अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।
- (ii) छात्र के शेष कार्यकाल का निर्धारण करते समय व्यापक परीक्षा, उम्मीदवारी की आवश्यकताओं को पूरा करने और शोध प्रबंध प्रस्तुत करने में पहले से ही उपयोग की गई अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iii) आईआईएसईआर बरहमपुर में किसी छात्र के पंजीकरण के एक महीने के भीतर, संस्थान के पीएचडी विनियमों के अनुसार, उसके लिए अनुसंधान प्रगति समिति (आरपीसी) का गठन किया जाएगा।
- (iv) यदि पूर्व संस्थान और/या किसी अन्य संगठन से कोई सह-पर्यवेक्षक हो तो उसकी मान्यता आईआईएसईआर बरहमपुर के पीएचडी विनियमों और अन्य लागू नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।
- (v) यदि आवश्यक हो, तो छात्रावास में आवास उपलब्धता के आधार पर और संस्थान के प्रचलित छात्रावास नियमों के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
- (vi) संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त अनुसंधान अवसंरचना और प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि छात्र अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से जारी रख सके।

7. आराम करने की शक्ति

- (i) इस नीति में निहित किसी भी बात के बावजूद, आईआईएसईआर बरहमपुर की सीनेट/सीनेट द्वारा अधिकृत कोई भी प्राधिकरण, असाधारण और योग्य मामलों में इस नीति के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी छूट लागू कानूनों के साथ असंगत न हो। विधियों या अध्यादेशों संस्थान का।

- (ii) इस नीति की व्याख्या से संबंधित कोई भी मामला या कोई भी ऐसा मुद्दा जो इसमें विशेष रूप से शामिल नहीं है, सीनेट को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
